आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 498/2025 अनवान ***दौलाराम व अन्य बनाम खेतुडी वगैरा***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.01.26	वकील अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 2 के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो0सं0 –1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल चौधरी ने दिनांक 17.12.25 को अपना वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पो0सं0 1 व 2 की ओर से ''जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति वकील अपीलांट को दी हुई है, जो शामिल पत्रावली किए गये। प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 6499/2025 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.25 द्वारा प्रदत्त निर्देश के कम में उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं अपील की गुणावगुण पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों एवं धारा 05 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पो0 के खातेदारी भूमि ख0नं0 621, 407, 622, 408, 409 व 624 ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाडा में आई हुई है, इनमें रेस्पो0सं0 1 व 2 की ख0नं0 622 में से कुछ भूमि आई हुई है। रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ख0नं0 622 का नाप (सीमांकन) एवं पत्थरगढी, पुलिस इमदाद से करवाने का आग्रह किया गया। जिसमें एकतरफा सुनवाई कर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.25 द्वारा वादग्रस्त ख0नं0 622 का सीमांकन एवं पत्थरगढी का आदेश पारित कर	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिया गया।

आलौच्य प्रकरण में अपीलांट–अप्रार्थीगण की प्रोपर तामिली नही करवाये जाने से उन्हें सुनवाई का अवसर नही मिला। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की सर्व प्रथम जानकारी 10.06.25 को रेस्पो0सं0 2–प्रार्थी द्वारा अपीलांट के खेत से बेदखल करने की धमकी देने पर हुई, जिस पर नकल लेकर दिनांक 17.6.25 को अपने अधिवक्ता से सलाह मशविरा कर यह अपील पेश की गई, जो प्रथम जानकारी एवं कानूनी सलाह मिलने के बाद प्रस्तुतिकरण दिनांक 17.6.25 से अन्दर मियाद मानी जावे। मौके पर वादग्रस्त ख0नं0 622 की भूमि कम है, जिसकी पूर्ति अपीलांट के खसरान से नही की जा सकती है। अपीलाधीन आदेश की पालना में दिनांक 10.06.25 को तथाकथित फर्द मौका रिपोर्ट बनायी, जिसमें कोई भी नाप चौक व सीमाकंन का हवाला नही दिया गया और न ही पडौसी खसरान को इसकी सूचना दी गई। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.25, एक्स पार्टी आदेश दिनांक 20.07.20 व 24.02.25 एवं सीमाज्ञान आदेश फर्द दिनांक 10.06.25 को निरस्त फरमाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट की सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने तथा सभी संबंधित खसरों का सीमांकन सेटलमेंट की टीम गठित करके, ग्राम की सीमा से वादग्रस्त ख0नं0 622 का नाप कराने का आदेश प्रदान करने हेतु आग्रह किया गया। वकील अपीलांट ने फार्म नं0 के साथ उल्लेखित दस्तावेजो की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र धारा 05 में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट ने धारा 05 के प्रार्थना पत्र में मिथ्या तथ्यों का उल्लेख किया है। वास्तविक्ता में रेस्पो0सं0 1 व 2 ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाडा के वादग्रस्त ख0नं0 622 रकबा 1.2459 है0 भूमि के कब्जाकाश्त व रेकर्डेड खातेदार है। जिसका

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाने हेतु उन्हें कानूनन अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया गया था, जिस पर अप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गये। जो तामिल कुनिंदा की रिपोर्ट के साथ पेश हुए, सभी नोटिस आदेश 5 नियम 15 व 17 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार विधिवत तामिल होने के उपरांत अपीलांट्स –अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्धारित सुनवाई दिनांक 20.07.20 को उपस्थित नही हुए। जिनकी उपस्थिति हेतु दिनांक 04.8.20 से 31.05.22 तक 8 अवसर दिये गये। बावजूद अपीलांट के अनुपस्थित रहते इनके विरूद्ध नियत दिनांक 04.07.22 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनांक 03.03.25 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसमें कोई विधिक भूल नही है। अपीलांट वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी नही होने देनाा चाहते है, मात्र इसीलिए यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार बिलाडा द्वारा दिनांक 10.06.25 नियत कर मय पुलिस जाप्ता वादग्रस्त ख0नं0 622 का सीमांकन एवं पत्थरगढी की गई, जिसे अपीलांट्स द्वारा गैर कानूनी तरीके से हटा दिया गया। इसलिए अपीलांट्स का यह कथन कि उसे अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.6.25 को होना गलत है तथा उक्त अपील झूठे एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित है। रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त खसरान की मौके से सीमांकन एवं पत्थरगढी हटा दी जाने पर पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.6.25 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 27.10.25 द्वारा पुनः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया गया। इसकी पालना में गठित राजस्व टीम द्वारा दिनांक 10.11.25 को वादग्रस्त खसरान का पुनः सीमांकन किया गया, परंतु पुलिस जाप्ता समय पर उपलब्ध नही होने से मौके पर पत्थरगढी नही हो सकी।

राजस्व अपील प्राधिकारी आयुक्त

रेस्पो0–प्रार्थी के पुनः आवेदन पर तहसीलदार बिलाडा द्वारा दिनांक 05.12.25 नियत की गई, जो न्यायालय हाजा के अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 03.12.25 के कारण संभव नही हो सकी। अपीलांट द्वारा अपील की परिसीमा प्रारंभ होने की दिनांक 03.03.25 से अपील दायर करने की दिनांक 17.06.25 तक हुए विलंब का स्पष्टीकरण धारा 05 के प्रार्थना पत्र में नही देने से उक्त अपील मियाद विन्दु पर खारिज योग्य है। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा फार्म नं0 3 के संलग्न उल्लेखित दस्तावेजों एवं मियाद विन्दु पर पारित विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों की प्रतियां अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

बहस पर मनन किया तथा अपील एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 03.03.25 के विरूद्ध अप्रार्थी सं0 कमशः 2, 3, 5, 6 के का. मु. 24, 23, 22, 21 द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में धारा 05 के प्रार्थना पत्र एवं अपील पर उभय पक्ष की सुनवाई दिनांक 17.12.25 की जाकर पत्रावली निर्णय हेतु रखी गई थी। उभय पक्ष की बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर विलंब को माफ करने हेतु अपीलांट द्वारा धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलंब का दर्शाया गया कारण संतोषजनक एवं प्रर्याप्त नही है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश में स्पष्टतः उल्लेखित कि अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 30 को उपस्थित होने के प्रर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थी सं0 31–तहसीलदार बिलाड़ा का जवाब एवं रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है, जिसके आधार पर परित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से, तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2020 बअनवान खेतुडी बनाम जसी वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 1.1.26 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

1/1/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर